

(GCF-14, GCF-15, GCF-16, GCF-17 & GCF-17-A, VCF-3, VDCF-3)

DATE: 22.05.2023

MAXIMUM MARKS: 100

TIMING: 3 Hours

BUSINESS LAW & BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING**Question No. 1 is Compulsory. Answer any four question from the remaining five questions.****Wherever necessary, suitable assumptions should be made and disclosed by way of note forming part of the answer.****Working Notes should form part of the answer.****Answer 1:**

- (a) प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में अन्तर है। एक प्रस्ताव प्रस्तावक द्वारा अपने प्रस्ताव से बाध्य होने के आशय को प्रकट करने का अन्तिम वक्तव्य है, यदि दूसरा पक्ष प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहे। जब एक पक्ष, अपनी अन्तिम इच्छा व्यक्त किये बिना कुछ शर्तों का प्रस्ताव करता है, जिस पर वह सौदा करने के लिए तैयार है, कोई प्रस्ताव नहीं करता, बल्कि उन शर्तों पर दूसरे पक्ष को प्रस्ताव करने के लिए निमंत्रण करता है। यह प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में आधारभूत अन्तर है।
- वस्तुओं का, मूल्य के फीते के साथ 'स्वयंसेवा' दुकान में प्रदर्शन, प्रस्ताव के लिए निमंत्रण मात्र है। यह किसी भी रूप में बिक्री के लिए प्रस्ताव नहीं माना जा सकता जिसकी स्वीकृति एक अनुबंध की उत्पत्ति करें। इस मामले में श्रीमति प्रकाश ने कुछ वस्तुओं का चुनाव करके तथा भुगतान के लिए कोषाध्यक्ष मूल्य का भुगतान स्वीकार नहीं करता है तो वस्तु खरीदने का इच्छुक क्रेता उसे वस्तु बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जैसा कि फिशर बनाम वैल (1961) क्यू.बी. 394 में तथा फार्मेस्युटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाम बूट्स कैश कैमिस्ट के विवादों में न्यायालय ने निर्णय दिया।

Answer:

- (b) हाऊस ऑफ लॉर्ड सैलोमन बनाम सैलोमन लि. में निर्णय दिया कि कम्पनी अपने सदस्यों से अविच्छिन्न तथा पृथक है तथा इसलिए इसका अपने सदस्यों से, जिन्हांने कम्पनी का गठन किया है। स्वतंत्र, पृथक कानूनी अस्तित्व है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में न्यायालय निगमित अवारण को उठा सकता है। इसका अर्थ है निगमित आवरण के पीछे झाँकना तथा निगमित अस्तित्व को नहीं मानना जहाँ कम्पनी का निर्माण तथा निगमन कुछ व्यक्तियों द्वारा निगमित प्रकृति के पीछे शरण लेकर करों की ओरी करना है वहाँ न्यायालय करों की ओरी के मामले में निगमित अस्तित्व की अवमानना करें।
- (1) प्रश्न में पूछी गई समस्या उपर्युक्त तथ्यों पर आधारित है। करदाता ने तीन कम्पनियों का गठन करों की ओरी करने के लिए किया था तथा कम्पनियों करदाता से अलग कुछ भी नहीं थी। इसलिए F का इरादा कर की ओरी करने के इरादे से तीन भागों में बॉटने का था।
- (2) तीन निजी कम्पनियों के कानूनी व्यवित्ति की अवमानना की जा सकती है क्योंकि इनका निर्माण केवल करों की ओरी करने के लिए किया गया था तथा कम्पनी करदाता से अधिक कुछ नहीं थी। उन्होंने कोई व्यापार नहीं किया, लेकिन केवल व्याज तथा लाभांश की आय को प्राप्त करके उसे करदाता को कल्पित ऋण के रूप में वापस करना था। ऐसा निर्णय सर दिनशॉ मानेकजी पेटिट AIR 1927 बम्बई 371.

Answer:

- (c) यह मामला वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 27 से संबंधित है। जिसके अनुसार के व्यापारिक एजेन्ट—
- (a) माल बेचने के लिए,
(b) माल खरीदने के लिए,
(c) माल पर धन जुटाने के लिए
- अधिकृत होता है। एजेन्ट से खरीदने पर क्रेता को अच्छा सत्य प्राप्त होगा यदि निम्न शूरू पूरी हों :
- (a) एजेन्ट स्वामी की अनुमति से माल पर कब्जा रखे,
(b) एजेन्ट व्यवसाय के सामान्य परिचालन में माल को बेचे,
(c) क्रेता सद्विश्वास में खरीदे
- (d) क्रेता को एजेन्ट के माल न बेचने के अधिकार के संबंध में कोई जानकारी ना हो।
- उपरोक्त मामले में J, A से कार का मूल्य वसूल नहीं कर सकता है।

Answer 2:

- (a) Mr. D कि स्थिति: Mr. D ने Mr. E को 5,00,000 उधार पर 15 दिन के Credit पर माल बेचा। देयतिथि पर Mr. E पैसा चुकाने से मना करते हैं। अतः Mr. D एक अदत्त विक्रेता है। धारा 45 (1) के प्रावधान कहते हैं जब तक वस्तु का सम्पूर्ण मुल्य नहीं चुकाया जाता या चुकाए जाने का प्रस्ताव नहीं कि जाता तब तक विक्रेता अदत्त विक्रेता कहलाता है।
- Mr. D के अधिकार: क्योंकि Mr. D वस्तु को अपने से दूर कर चुके हैं वह वस्तु पर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। वह केवल क्रेता के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है।
- (i) कीमत हेतु वाद (धारा 55) Mr. D, Mr. E पर वस्तु कि कीमत हेतु वाद दायर कर सकता है।
- (ii) वस्तु स्वीकृति न होने कि वजह से हुई हानि – Mr. D, Mr. E पर उन हर्जानों कि मांग कर सकता है जो उसने वस्तु पर क्रेता कि स्वीकृति लेने की लापरवाही के कारण उठाई है।
- (iii) ब्याज हेतु वाद – (धारा 61) ब्याज केवल उसी स्थिति मे दिया जा सकता है जब यह बात पहले से निर्धारित की जाए। यदि Mr.D ब्याज लेना चाहते हैं तो उन्हें इस बात कि सुचना Mr. E को देनी होगी।

Answer:

- (b) साझेदारी की सही जाँच :— धारा 6 के अनुसार साझेदारी के अस्तित्व के निर्धारण के लिए पक्षकारों के मध्य वास्तविक संबंध व महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। साझेदारी के अस्तित्व के लिए तीन बातों को सिद्ध करना पड़ेगा:—
- समझौता
 - साझेदारी सिफ समझौते द्वारा उत्पन्न होती है।
 - इसकी प्रकृति ऐच्छिक एवं अनुबंधात्मक है।
 - यह मौखिक या लिखित स्पष्ट या गर्भित हो सकता है।
 - इसे साझेदारी का संविधान अन्तर्नियम, साझेदारी संलेख या विलेख (लिखित + हस्ताक्षरयुक्त + पंजीकृत भी कहा जाता है।)
 - लाभ का बटवारा
 - लाभ शब्द में हानि भी शामिल है। (सामान्यतः) परन्तु अनिवार्य रूप से नहीं (केवल लाभ में साझेदार)।
 - समझौता के अभाव में लाभ व हानि बराबर बॉटे जाएंगे।
 - किसी विपरीत प्रावधान कि अनुपस्थिति हानि लाभ के अनुपात में बांटी जाएगी।
 - लाभ का बंटवारा साझेदारी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है परन्तु निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है। निम्न चार परिस्थितियों में लाभ का बंटवारा होता है। परन्तु साझेदारी नहीं है।
 - ख्याति का विक्रेता जो लाभ में हिस्सा प्राप्त करने को सहमत होता है।
 - फर्म का लेनदार जो लाभ में हिस्सा प्राप्त करने को सहमत होता है।
 - कर्मचारी या नौकर जो लाभ में हिस्सा प्राप्त करता है।
 - मृत साझेदार कि विधवा व बच्चे अपने आप साझेदार नहीं बनते परन्तु समझौते द्वारा उन्हें साझेदार बनाया जा सकता है।
 - आपसी ऐजेंसी
 - एक सबके लिए और सब एक के लिए
 - प्रत्येक साझेदार प्रधान भी होता है और ऐजेन्ट भी
 - व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या सभी के लिए किसी एक के द्वारा किया जाना चाहिए।
 - यह साझेदारी का मुलभूत सिद्धांत है। निश्चयात्मक, निर्णयात्मक, अकाट्य प्रमाण है।
 - यह साझेदारी की सही जाँच है। (Cox V/s Hickman)

Answer 3:

- (a) (i) वस्तु विक्रय अधिनियम 1932 की धारा 44 के अनुसार यदि विक्रेता वस्तु सुपुर्द करने के लिए राजी है और क्रेता को सूचित करता है कि वह वस्तु की सुपुर्दगी ले परन्तु क्रेता सुपुर्दगी उचित समय में नहीं ले पाता तो सुपुर्दगी न होने की वजह से जो भी नुकसान वस्तु को हो उसके लिए क्रेता जिम्मेदार होगा साथ की वस्तु की देखरेख के खर्चे भी क्रेता को वहन करने होगे।

- जब भी किसी वस्तु को नियोजित कर सुपुर्दगी योग्य स्थिति में डाल दिया जाता है। तो स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है। और साधारण नियम है कि जोखिम स्वामित्व के साथ चलती है। जब तक वस्तु का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित न हो तो जोखिम विक्रेता की होती है चाहे सुपुर्दगी की गयी हो या नहीं।
- दिए गए प्रश्न में Mr. G Mr. H को सूचित कर चुका था कि वह वस्तु की सुपुर्दगी ले परन्तु Mr. H सुपुर्दगी लेने में लापरवाही बरतता है इसलिए वस्तु का जोखिम Mr. H को वहन करना होगा।
- (ii) यदि वस्तुओं की कीमत नकद में चुकाई गई नहीं होती तो Mr. G अदत्त विक्रेता कहलाता और उन्हें क्रेता के विरुद्ध व्यक्तिगत तौर पर निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं—
- (a) जब क्रेतास्वामित्व आन्तरण होने के बाद वस्तुओं की सुपुर्दगी लेने में लापरवाही बरतता है तो विक्रेता उस पर मूल्य के लिए वाद कर सकता है।
- (b) यदि विक्रय अनुबंध में वस्तु का मूल्य एक निर्धारित तिथि पर चुकाया जाना हो चाहे सम्पत्ति का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित न हुआ हो, तो भी विक्रेता क्रेता पर मूल्य हेतु वाद कर सकता है।

Answer:

- (b) साझेदारी का निश्चयात्मक सबूत:
- साझेदारी में पारस्परिक अभिकरण का होना एक निश्चयात्मक सबूत है जिसके आधार पर साझेदारी को ज्ञात किया जा सकता है। फर्म में प्रत्येक साझेदार अन्य साझेदार का अभिकर्ता होता है। एक साझेदार द्वारा व्यवसाय संचालन में किया गया कार्य सभी साझेदार को बाध्य करता है। यदि व्यक्तियों के समूह में पारस्परिक अभिकरण है तो यह माना जाएगा कि वह साझेदार है।
- वह परिस्थितियाँ जहाँ दो या अधिक पक्षकार साझेदार नहीं माने जाते हैं।
- (1) जब पक्षकारों ने अपने बीच में साझेदारी के सम्बन्ध में किसी शर्तों का साक्ष्य न रखा हो।
- (2) जब साझेदार अपने बीच में नाम से कोई खाते नहीं बनाते हो जिन्हें जाँचा जा सके।
- (3) बैंक में फर्म के नाम से कोई खाता न खोला गया हो।
- फर्म के निर्माण के सम्बन्ध फर्म पंजीयक को कोई सूचना नहीं दी गयी हो।

Answer:

- (c) करार बिल्कुल शून्य है, क्योंकि दोनों पक्षों ने एक जैसी भूल की है विशेषकर कलाकृति या उसकी गुणवता के बारे में और यह ही करार का आधार है। दोनों पक्षों द्वारा भूल तथ्यों की भूल के कारण यह करार, प्रारम्भ से ही शून्य है जैसा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 20 में वर्णित है।

Answer 4:

- (a) LLP स्वरूप के लाभ (Advantages of LLP Form) - LLP Form व्यवसाय मॉडल का ऐसा स्वरूप है जो—

- एक रहराव के आधार पर संगठित तथा परिचालित होता है।
- व्यापक वैधानिक तथा प्रक्रियागत अपेक्षाओं के बिना लोच प्रदान करता है।
- बनाना आसान है।
- सभी साझेदारों को सीमित दायित्व का लाभ मिलता है।
- लोचपूर्ण पूँजी संरचना
- समाप्त करना आसान

{1 M Each}

Answer:

- (b) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार एक कम्पनी अलाभकारी उद्देश्यों के लिए बनाई जा सकती है। जिसमें कम्पनी का उद्देश्य वाणिज्य, विज्ञान, कला, शिक्षा, खेल इत्यादि को प्रोत्साहित करना होगा और वह अपने लाभ को अपने ही उद्देश्यों को पूरा करने में प्रयोग करेगी। धारा 8 वाली कम्पनी को पंजीकार तभी पंजीकृत करता है जब सरकार ने उसको लाईसेन्स जारी किया हो। यहां पर एल्फा स्कूल ने धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। केन्द्र सरकार निम्नलिखित तीन कार्यवाहियां कर सकती हैं—
1. यदि कम्पनी लाईसेन्स की शर्तों को पूरा नहीं करती या कम्पनी के कार्य कपटपूर्ण तरीके से चलाये जाते हैं या जननीतिक विरुद्ध हैं तो केन्द्र सरकार कम्पनी को दिये गये लाईसेन्स को खण्डित कर सकती है और कम्पनी के नाम के आगे प्राईवेट अथवा लिमिटेड शब्द जोड़ सकती है। परन्तु लाईसेन्स का खण्डन करने से पहले केन्द्र सरकार कम्पनी को सुनवाई का उचित अवसर देगी। {1 1/2 M}
 2. केन्द्र सरकार यदि लाईसेन्स खण्डित करती है तो जनहित को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार कम्पनी को समाप्त भी कर सकती है या समान उद्देश्य की कम्पनी में उसका विलयन कर सकती है। परन्तु इस दशा में भी केन्द्र सरकार को कम्पनी को सुनवाई का उचित अवसर देना होगा। {1 1/2 M}
 3. केन्द्र सरकार कम्पनी को समान उद्देश्य वाली किसी अन्य कम्पनी के साथ समामेलित कर सकती है और एक कम्पनी बना सकती है। जिसकी सम्पत्तियां, अधिकार, दायित्व, संविधान वे होंगे जो केन्द्र सरकार निर्धारित करेगी। परन्तु ऐसी कार्यवाही करने से पहले सरकार कम्पनी को सुनवाई का उचित अवसर देगी। {1 1/2 M}

Answer 5:

- (a) आन्तरिक प्रबन्धन का सिद्धान्त—यह एक प्रकार का रचनात्मक सूचना के सिद्धान्त का अपवाद है जो यह कहता है कि आन्तरिक गतिविधियों का पता होना बाहरी व्यक्ति को जरूरी नहीं है। यदि कोई कार्य सीमानियम और अन्तर्नियमों द्वारा अधिकृत है तो बाह्य व्यक्ति यही मानेगा कि आन्तरिक गतिविधियां सूचारू रूप से संचालित की जा रही हैं। यह सिद्धान्त कहता है कि बाह्य व्यक्ति यह मानेगा कि कम्पनी का कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो वह उसको करने के लिए अधिकृत है और वह कार्य वैध होगा। आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए, जो कम्पनी के साथ उनके संचालकों या अन्य व्यक्ति के माध्यम से अनुबन्ध करते हैं। वो यह बाह्य पक्षकार मान सकते हैं कि संचालक उनके अधिकारियों ने सही तरीके से कार्य किया होगा। यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर कार्य करते हैं। यदि कोई कार्य अन्तर्नियम द्वारा अधिकृत है और विशिष्ट तरीके से किया गया है तो बाह्य पक्षकार यह मान सकता है कि उससे जरूरी आशयकता औपचारिकताओं को कम्पनी ने पूरा कर लिया होगा। दी गई समस्या ने Mr. X ने Mr. Z को भुगतान किया है, और Mr. Z ने उसे रसीद भी जारी की है, इसलिए Mr. X यह मान सकता है कि Mr. Z वह भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है। इस मामले में X अपने दायित्वों से मुक्त हो जायेगा, क्योंकि उसने जो भुगतान किया है वह कम्पनी के कर्मचारी को किया है, और उसके लिये उसने रसीद भी प्राप्त की है। {2 M}

Answer:

- (b) एक सेवानिवृत् साझेदार तब तक फर्म के कार्यों के लिए बाध्य होता है जब तक वह उसके लिए या शेष साझेदार सेवानिवृति की सार्वजनिक सूचना न देवे। एक सेवानिवृत् साझेदार उस तृतीय पक्षकार के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो फर्म के साथ व्यवसाय करते समय यह नहीं जानता हो कि उक्त व्यक्ति कभी फर्म का साझेदार था। जब स्वैच्छिक साझेदारी होती है तो कोई भी साझेदार अपनी सेवानिवृति की लिखित में सूचना देकर अपने दायित्वों से विमुख हो सकता है। इस परिस्थिति में उसे सार्वजनिक सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 28 गत्यावरोध द्वारा साझेदार को तृतीय पक्षकार के विरुद्ध उत्तरदायी मानेगी यदि वह उक्त साझेदार के विश्वास पर फर्म को उधार दे। उपरोक्त नियम को लागू करते हुए मि. P को मि. X के लिए उत्तरदायी होना होगा। {1 M}

Answer:

- (c) अयथार्थ – भारतीय अधिनियम की धारा 18 के अनुसार इस में अयथार्थ (मिथ्यावर्णन) समाहित है।
1. कोई व्यक्ति विश्वासपूर्वक यह कहता की उसका कथन सत्य है जब की यह सूचना है कि वैसा नहीं है यद्यपि वह विश्वास करता है कि उसका कथन उचित है।
 2. जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया जाता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने से कोई लाभ होता है और वह किसी अन्य व्यक्ति की गुमराह करता है और इस का फायदा उठाता है।
 3. जब कोई पक्ष दूसरे पक्ष का नुकसान करता है भले ही यह अनजाने में किया गया हो तो दूसरा पक्ष जो कि अनुबंध कर रहा गलती कर लेता है क्योंकि अनुबंध के तथ्य गलत रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।
- किसी पक्ष द्वारा अयथार्थ तथ्य प्रकट करने के फलस्वरूप जिस पक्ष पर प्रभाव हुआ है वह भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 19 के अनुसार उस अनुबंध को रद्द कर सकता है यह उससे बच सकता है अपकृत पक्ष को यह अनुबंध रद्द करने का अधिकार नहीं होगा यदि उस पक्ष ने अयथार्थ कथन का पता लग जाने के बाद उस अनुबंध से कोई लाभ उठाया हो या उस अनुबंध के प्रति अपनी कोई सहमति जताई हो तो दिये गये उदाहरण में सूरज उस अनुबंध को रद्द नहीं कर सकता क्योंकि उसने सोहन द्वारा मोटरसाईकिल ठीक करवाने तथा ठीक करवाने पर होने वाले खर्च का 40 प्रतिशत भाग पर अपनी सहमति जताई है इस प्रकार सूरज ने अन्ततः सोहन द्वारा की गयी बिक्री के प्रति अपनी सहमति दी है। (लोना बनाम लायड 1958)प

Answer 6:

- (a) बाद की असम्भाविता (अनुबंध करने के पश्चात् की असम्भाविता) जब किसी वचन का निष्पादन असम्भावना या अप्रत्याशित घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण असम्भव या अवैध होता है तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ हो जाता है।
- भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा (65) के अनुसार जब एक ठहराव व्यर्थ जाता है या जब कोई अनुबंध व्यर्थ हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे समझौते या अनुबंध के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है, तो वह ऐसे लाभ को वापस करने के लिए बाध्य होगा तथा उसके लिए उस व्यक्ति को हर्जाना देने के लिए बाध्य होगा। इस प्रश्न में X तथा Y एक अनुबंध में प्रवेश कर रहे हैं। जिसमें X, Y को 50 टन चीनी सुपुर्द करेगा।
- बाढ़ आने के कारण वह निश्चित समय में सुपुर्दगी करने में असंभव है। इस कारण इस अनुबंध का निष्पादन असंभव हो गया है। इसलिए यह अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा। X को Y से जो अग्रिम भुगतान 50,000 रु. का प्राप्त हुआ है उसे Y को वापस करना पड़ेगा। इसलिए Y का कथन उचित है।

Answer:

- (b) समस्या संप्रेषण और स्वीकृति का समय तथा स्वीकृति के समय पर आधारित है भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 4 के अनुसार स्वीकृति को संप्रेषण ही स्वीकृति को पूर्ण करता है जबकि स्वीकारकर्ता के बदले यह प्रस्तावकर्ता के संज्ञान में आता है।
- किसी भी स्वीकृति को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है पर यह स्वीकृति के पूर्व ही स्वीकारकर्ता के लिए मान्य है परन्तु संप्रेषण के उपरान्त नहीं।
- उपरोक्त प्रावधानों के सन्दर्भ के अनुसार
- (1) हाँ, रामानाथन द्वारा स्वीकृति को निरस्त किया जाना वैध है।
 - (2) यदि रामस्वामी तार को पहले खोलता है। (यह सामान्यतः किसी भी ठीक सोच वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है) और उसे पढ़ लेता है तो स्वीकृति निरस्त समझी जाती है। यदि वह पत्र को पहले खोलता है और उसे पढ़ता है तो स्वीकृति की निरस्ता सम्भव नहीं होती क्योंकि अनुबंध पहले ही सम्पूर्ण और अन्तिम रूप में हो चुका होता।

Answer:

- (c) अनावश्यक प्रभाव का अर्थ:- अनावश्यक प्रभाव का अर्थ भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 16 के अनुसार कोई अनुबंध अनावश्यक प्रभाव के कारण किया गया हो सकता है जहां दोनों पार्टियों में ऐसे सम्बंध हैं कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष पर अपनी स्थिति में दबाव डालकर उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने प्रभाव का उपयोग कर उससे कोई अनुचित लाभहित रखता है।
- (a) किसी व्यक्ति को उस स्थिति में माना जाएगा जहां वह व्यक्ति कोई वास्तविक या समझे तथा माने गये अधिकार रखता है।
- (b) जहां वह व्यक्ति किसी ऐसी व्यक्ति से अनुबंध करता है जो कि अस्थायी रूप से या स्थायी रूप में मानसिक रूप मानसिक क्षमता से ग्रसित है या ऐसा बुढ़ापें के कारण बीमारी के कारण या मानसिक या शारीरिक अक्षमता से प्रभावित है।
- (c) जहां पर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थिति में है कि वह दूसरे लोगों को अपनी स्थिति के कारण प्रभावित कर सकता है और वह अपने प्रस्ताव का उपयोग करके उसके साथ अनुबंध करता है और वह व्यवहार अनैच्छिक है, यह सिद्ध करना की यह अनुबंध निष्पक्ष है उस व्यक्ति को करना होगा जो व्यक्ति ऐसा प्रभाव डालने के स्थिति में है।
- जब दो में से एक पक्ष जिसने उस व्यवहार से लाभ उठाया है और इस स्थिति में है कि वह दूसरों के इच्छा पर प्रभावित कर सकता है और दोनों पक्षों में हुआ व्यवहार अनैच्छिक दिखाई पड़ता है तो कानून यह मानना है कि अनावश्यक प्रभाव का उपयोग हुआ है (धारा 16 (31)) प्रत्येक वह व्यवहार जिसमें शर्त किसी एक पक्ष के विपरीत है या उसके हित में नहीं है वहां यह आवश्यक नहीं होता है कि यह सोचा कि व्यवहार अनैच्छिक है। यदि कोई अनुबंध किसी एक पक्ष के लिए लाभदायक है पर उसे व्यापार के सामान्य रूप से किया गया है तो उसे किसी प्रभाव में किया हुआ नहीं कहा जा सकता है।
- दी गयी समस्या में A बैंकर को कर्ज देने का आवेदन उस समय करता है जब मुद्रा बाजार में मुद्रा कि बहुत अधिक तंगी है बैंकर कर्ज देने से इन्कार करता है सिवाय इस आधार पर कि कर्ज पर ब्याज कि दर बहुत ऊँची होगी। A ऊंचे ब्याज दर की शर्त पर कर्ज लेने के लिए सहमत हो जाता है। यह व्यवहार सामान्य व्यापार नियमों के अनुरूप है और कर्ज का अनुबंध अनावश्यक प्रभाव से प्रेरित नहीं है जैसा कि दोनों पक्ष के ही स्तर पर है तो इसलिए न्यायालय इससे व्यवहार को केवल इसलिए अनैच्छिक करार नहीं ठहरायेगा कि ब्याज की दर अधिक है केवल वहां पर जहां कर्जदाता इस स्थिति में ही किवह कर्ज लेने वाले की इच्छा बदलने का दबाव डाल सकता है, कोई सहायता तभी दी जा सकती है जब अनावश्यक प्रभाव का उपयोग सिद्ध किया जा सकता है पर इस समस्या में ऐसी कोई स्थिति नहीं है इसलिए यहां पर कोई अनावश्यक प्रभाव का उपयोग नहीं हुआ है।

PAPER : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

The Question Paper comprises of 5 questions of 10 marks each.
Question No. 7 is compulsory. Out of questions 8 to 11, attempt any three.

SECTION-B : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING (40 MARKS)**Answer 7:**

- (a) (i) b
 (ii) a
 (iii) d
 (iv) d
 (v) c

{1 Mark Each}

Answer:

- (b) (i) (I) Loc & Origin
 1) Built around 1268 AD
 2) At Somnathpur.
 a) A small village
 3) Commsnd by Soma Dandanayaka or Somnath,
 a) Mnstr of Hoyasala Kingof Karnataka, Narasimha, III
 4) almost in orgnl condtn
 5) Houses three shrines
 a) Ddictd to three incrntns of Krishna
 i. Venugopala,
 ii. Janardana
 iii. Prasanna Keshava.
- (II) Strctrnl Details
 1) has three Shikaras.
 2) stands on a star-shaped-raised platform with 24 edges.
- (III) Sclptrl Details
 1) Intrct crvngs on outer walls dptng
 a) cprsnd elephants,
 b) chrgng horsemen,
 c) stylzd flowers,
 d) warriors, musicians,
 e) crocodiles and swans.
 2) Vrtcl pnls dptng
 a) figures of gods & goddesses in many incrntns
 i. hvng elbrt ornmnttn
 b) nymphs caryng ear of maize – a smbl of prspctv
 3) doors and three elegantly carved towers

{1 M}

{1 M}

Key Used:

- Loc: location
 Commsnd: commissioned
 Orgnl:original
 Cndtn: condition
 Mnstr: minister
 Ddictd: dedicated
 Incrntns: incarnations
 Strctrnl: structural
 Sclptrl: sculptural

{1 M}

Intrct: intricate
 Crvngs: carvings
 Dcptng: depicting
 Cprsoned: caparisoned
 Chrgng: charging
 Stylzd: stylized
 Vrtcl: vertical
 Pnls: panels
 Dcptng: depicting
 Havng: having
 Elbrt: elaborate
 Ornmnttn: ornamentation
 Caryng: carrying
 Smb: symbol
 Prsprty: prosperity
 Elgntly: elegantly

Answer:**(b) (ii) Summary**

The Somnathpur temple, built around 1268 AD, by the Hoysalas of Karnataka is an epitome of exquisite craftsmanship. Commissioned by the Dandanayak. The temple is dedicated to three incarnations of Lord Krishna - Venugopala, Janardana and Prasanna Keshava. It stands almost in its original condition on a star shaped raised platform. It has three shikaras. The outer walls are replete with intricate carvings of caparisoned elephants, charging horsemen, stylized flowers, warriors, musicians, crocodiles and swans. Vertical panels depict figures of Gods and Goddesses in various incarnations and symbols of , prosperity such as nymphs carrying ear of maize. The beautifully carved three elegant towers and doors are worth seeing and appreciating.

Answer 8:**(a) Barriers in communication:**

- Physical Barriers
- Cultural Barriers
- Language Barriers
- Technology Barriers
- Emotional Barriers

{1 M}

Physical barriers: These are a result of our surroundings. Noise, technical disturbances, outdated equipment, distant locations, office doors, separate areas for people, large office spaces, old technologies and lack of appropriate infrastructure can lead to problems in transmission of message.

{1 M}

Language Barriers: It's a cosmopolitan set up, where people of different nationalities move from their home to other countries for work. As a result, it is difficult to have a common language for communication. Hence, diversity gives rise to many languages and it acts as a barrier at times.

{1 M}

Answer:

(b) (i) End a quarrel and make peace } (1 Mark)
(ii) A.R. Rahman has composed the melody wonderfully. } (1 Mark)

Answer:

(c) Television: Bane or Boon (Title) }{1 M}

Television affects our lives in several ways. We should choose the shows carefully.
Television increases our knowledge It helps us to understand many fields of study.
It benefits and people and patients. There are some disadvantages too some
people devote a long time to it. Students leave their studies and it distracts their
attention. }{2 M} }{2 M}

Answer 9:

(a) Communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings }{1 M}
and emotions through speech, signals, writing, or behavior.

Communication is relevant in daily life as we experience it in all walks of life. While
talking to friends, family and office colleagues, while passing on a piece of
information, while starting a campaign or a protest march; at every step we want
to communicate a message. The audience differs and the purpose differs; yet
communication happens. }{1 M}

Answer:

(b) (i) The job had been left by him.

(ii) Nobody has brought the news to my attention.

(iii) The severe natural calamity in the northern region is being worried about
by the government. }{1 Mark
Each}

Answer:

(c) Raghav Shetty
1207, Ninto Road
Pune, Maharashtra
Tel. 9893233XXX / email - abc@gmail.com

Career Objective

To be associated with the organisation that will offer to me tremendous
opportunities for growth in career and provide a challenging environment that will
utilize my skill and abilities to the maximum.

Summary of Qualification

- (1) Excellent communication & comprehension skill.
- (2) In depth knowledge of fundamental concepts related to profession.
- (3) Exceptionally good at the application of different concept in varied manner.
- (4) Have a training experience along with the competency conduct of various
research program.

. }{2 M}

Education

IIM
Bangalore
MBA in Sales Management (2 year post graduate program)

Major areas of study

- (1) Finance
- (2) Marketing
- (3) Advertisement
- (4) Production
- (5) Communication
- (6) Sales

Overview of skills and experience acquired through training

- (1) More than 5 years of experience in both practical and managerial aspect of life.
- (2) Extensive experience in various practices of explore the various facts of the company.
- (3) Carried out various research program by employing suitable techniques.
- (4) Possess flawless understanding of fundamental concepts.

Employment Experience

HDFC Bank, Mumbai, Maharashtra [2014-2017]

Sales Manager

- (1) Tracked, recorded and verified the shipping of product from warehouse across the country.
- (2) Engaging in skills & personality development program.
- (3) Perform periodic activities to ensure almost satisfaction.

{2 M}

Skills

- (1) Well versed with MS Office.
- (2) Updated with all latest computer application & software.
- (3) Excellent verbal communication skill.
- (4) Highly organised & efficient.

Reference

Available upon request

Declaration

I solemnly declare that all the above information is correct to the best of my knowledge and belief.

{1 M}

Date - 28 August, 2022

Place - Pune, Maharashtra

(Raghav Shetty)

Answer 10:

- (a)** Cultural barriers: Understanding cultural aspects of communication refers to having knowledge of different cultures in order to communicate effectively with cross culture people. Understanding various cultures in this era of globalisation is an absolute necessity as the existence of cultural differences between people from various countries, regions tribes and, religions, where words and symbols may be interpreted differently can result in communication barriers and miscommunications. Multinational companies offer special courses and documents to familiarise their staff with the culture of the country where they are based for work.
- In addition, every organisation too has its own work culture. In fact, departments within the same company may also differ in their expectations, norms and ideologies. This can impact intra and inter organisational communication.
- The same principle applies to families and family groups, where people have different expectations according to their background and traditions leading to friction and misunderstanding. A very simple example is the way food is served by a member of a family. It can be the cause of appreciation or displeasure.

{1 M}

{1 M}

{1 M}

Answer:

- (b)** (i) Be highly successful
 (ii) A narrow escape } {1 Mark Each}

Answer:

- (c) • Subject: Introducing 'Innovators' }{1 M}
 • Address the person whom you are sending personally – like Dear Ms./Mr. ABC or Dear abc, (addressing the person entices the person to look at the e-mail)
 • Introduce yourself and mention about the reference (if any)
 • Tell about your agenda of writing the e-mail
 • Introduce your start-up idea/product/service being offered
 • Tell how the reader would be benefitted
 • End the e-mail with appropriate closing }{1 M}]-{3 M}

Answer 11:

(a) XYZ Bank
 Sector-19
 Nerul
 Navi Mumbai-06
 10 December, 20XX

Chief Finance Officer
 XP Ltd
 Dadar
 Mumbai-14

Dear Sir/Ma'am,

Subject: Opening of our New Branch at Nerul, Navi Mumbai

We are happy to announce the grand opening of our bank's 150 branch in the Nerul, Navi Mumbai.

As a privileged customer, we are pleased to offer you extra benefits for an account opening in the new branch.

The new branch has locker facility and six ATM machines in your area. In view of our long-term association, we would not charge you any fees for locker facility.

Kindly visit the new branch. Contact details are given below:

88, Jame Jamshed Road
 Dadar
 Ph.: 011-255-90000
 Mumbai-14

Yours
 R.P. Aneja
 (Branch Manager)

Answer:

- (b) {Technology Barriers: In the present world, communication modes are primarily technology driven. Communication technology is being constantly upgraded and new formats emerge ever so frequently. }{1 M} {Anyone who is not tech friendly struggles to communicate effectively via the medium.
 Moreover, an individual is swamped with a huge amount of information every day in the form of emails, texts and social updates. }{1 M} {Multitasking is the norm these days. The information overload and trying to accomplish too many things together can result in gaps resulting in miscommunication. }{1 M}

Answer:

- (c) Select the suitable antonym for the given words.
- | | | |
|--------|--------|--------------------|
| 1. (c) | 2. (b) |] {Each Point 1 M} |
|--------|--------|--------------------|

— ** —

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.